

# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी।

आदेश सं० 234 /2022 दिसम्बर 23, 2022

## आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र सं० 14/एडमिन 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 में जारी दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त कर्मचारीगण को चयन समिति द्वारा पुनर्नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाया गया जिनकी पुनर्नियुक्ति सेवायोजन प्रस्तावित है जो निम्न शर्त के अधीन होगी।

- वर्तमान समय में पुनर्नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए की जायेगी। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्नियुक्ति जिस पद के सापेक्ष की जायेगी वह पद सीधी भर्ती होने पर रिक्तियाँ भरे जाने की स्थिति में अथवा पदोन्नति की दशा में रिक्तियाँ भरे जाने पर अथवा सम्बन्धित कर्मचारी की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने की तिथि पर जो भी पहले हो सम्बन्धित कर्मचारी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जायेगी।
- उपरोक्त पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित कर्मचारी को अन्तिम आहरित वेतन की धनराशि से वर्तमान पेंशन की धनराशि को घटाते हुए शेष धनराशि परिलब्धियों के रूप में अदा की जायेगी।
- उपरोक्त पुनर्नियुक्ति के पूर्व सम्बन्धित कर्मचारी को मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पुनर्नियुक्ति से सम्बन्धित कर्मचारी पर सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1956 के प्राविधान लागू होंगे यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सम्बन्धित कर्मचारी का कार्य असन्तोषजनक पाया जायेगा तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

### आशुलिपिक संवर्ग

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम/पिता का नाम
01.	श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व० खेलाड़ी लाल श्रीवास्तव
02.	श्री नरेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्र स्व० शिव कुमार उपाध्याय
03.	श्री बसन्त लाल पुत्र स्व० रामचन्द्र यादव
04.	श्री ओम प्रकाश पुत्र स्व० हीरालाल

### तृतीय श्रेणी संवर्ग


क्रम सं०	कर्मचारी का नाम/पिता का नाम
01.	श्री नन्दलाल प्रसाद पुत्र स्व० महेन्द्र प्रताप
02.	श्री अच्युतानन्द तिवारी पुत्र स्व० केदार नाथ तिवारी
03.	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र स्व० राम रतन सिंह
04.	श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० गोरख नाथ सिंह
05.	श्री सतीश कुमार पुत्र स्व० कमला प्रसाद जायसवाल
06.	श्री महेन्द्र नारायण पुत्र स्व० मन्नु राम

### चतुर्थ श्रेणी संवर्ग

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम/पिता का नाम
01.	श्री सुरेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र स्व० भागवत मिश्रा
02.	श्री बलिराम पुत्र स्व० गनेश राम
03.	श्री मो० मोहिद खॉन पुत्र श्री मो० हफिज खॉन
04.	श्री मुन्नु राम पुत्र स्व० छक्कन राम
05.	श्री किशोरी राम पुत्र स्व० डिंगुर राम यादव
06.	श्री अब्दुल अनीस खॉ पुत्र स्व० अब्दुल रशीद खॉ
07.	श्री शिव सिंगार चौबे पुत्र स्व० राम सकल चौबे
08.	श्री विश्वम्भर नाथ तिवारी पुत्र स्व० लक्ष्मीशंकर तिवारी
09.	श्री श्याम जी पुत्र स्व० जवाहिर राम
10.	श्री छोटे लाल यादव पुत्र स्व० रामदेव
11.	श्री लाल बहादुर पुत्र स्व० श्री हरीराम
12.	श्री रामफल पुत्र स्व० रामसरन

उपरोक्त सभी कर्मचारीगण को सूचित किया जाता है कि वे प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय वाराणसी में उपस्थित होंगे तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किये गये अपने स्वास्थ्य प्रमाणपत्र को प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि उन्हें नियुक्ति पत्र नियमानुसार निर्गत किय जा सके।

इस आदेश की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर तथा जनपद न्यायालय, वाराणसी के (Official website) पर अपलोड किया जाये।

  
जनपद न्यायाधीश 23/12/22  
वाराणसी।